क्लिनिकल विधिक शिक्षा में 'लीगल एड क्लीनिक' के प्रायोगिक अनुभवों का समावेश : अवसर व चुनौतियां

शैलेष कुमार पांडेय *

हमारे देश भारत में आज हजारों की संख्या में विधिक शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं एवं देश में कानून की पढ़ाई करवा वह भविष्य के जज, वकील, कारपोरेट लायर्स और विधिज्ञाता तैयार करने में वृहद भूमिका निभा रहे हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत निश्चित तौर पर कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने में सफल रहा है एवं दिन प्रतिदिन सभी युवाओं का रुझान कानूनी डिग्री लेने की तरफबढ़ रहा है। देश में अगर कोई भी संस्था विधि की पढ़ाई पर स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री देना चाहती है तो उसे अनिवार्य रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकृत होकर बार काउंसिल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मापदंडों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। देश के विधि संबंधी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु समय-समय पर बार काउंसिल ऑफइंडिया के द्वारा नए नए नियम एवं संशोधन लाकर कानूनी शिक्षा को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता रहा है।

I. क्लिनिकल विधिक शिक्षा का अर्थ

क्लिनिकल विधिक शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी शिक्षा जिसमें प्रायोगिक विधिक अनुभवों का पाठ्यक्रम के साथ एक शानदार समावेश कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि समस्त छात्र-छात्राओं विधि की सैद्धांतिक बातों के साथ-साथ प्रायोगिक ज्ञान का भी लाभ एवं अनुभव मिलता रहे । इस प्रकार की शिक्षा की शुरुआत बीसवीं सदी के प्रारंभिक दौर में अमेरिका से हुई एवं धीरे-धीरे को देशों ने इस पद्धति को अपनाया। हमारा भारत आज भी इस शानदार शिक्षा पद्धति का लाभ लेने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है।[1]

क्लिनिकल विधिक शिक्षा का विकास बीसवीं सदी के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होना शुरू हुआ था और इसके विकास के पीछे मुख्य कारण सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कानूनी ज्ञान के बीच सामंजस्य ना बैठा पाना था।[2] उस दौरान विधिक शिक्षण संस्थान एवं लॉ यूनिवर्सिटी सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ावा दे रही थी लेकिन प्रायोगिक ज्ञान को बढ़ाने एवं विकसित करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था इसी वजह से इस समस्या का उचित समाधान करने हेतु विधिक शिक्षण संस्थानों में प्रायोगिक ज्ञान को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया और क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के संदर्भ में वर्तमान में लीगल एड क्लिनिक अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित की गई हैं जिनके जरिए पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं प्रायोगिक ज्ञान भी हासिल करने में सफल हो रहे हैं।[3]

---

* शोधार्थी, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ।

1 S. Wizner, "The law school clinic: Legal education in the interests of justice" 70 *Fordham L. Rev.* 1929 (2001).

2 A.G. Amsterdam, "Clinical Legal Education—A 21st Century Perspective" 34 *J. Legal Education* 612 (1984).

3 G.S. Grossman, "Clinical legal education: History and diagnosis" 26 *J. Legal Educ.* 162 (1973).

भारत में क्लीनिकल विधिक शिक्षा का विकास एवं विस्तार अमेरिका में चल रहे लीगल एड क्लीनिक के तर्ज पर ही किया गया एवं विगत 20 वर्षों में अमेरिका में हुए व्यापक क्लीनिकल वैदिक शिक्षा संबंधी बदलाव को भारत में भी भली–भांति लागू करने का प्रयास किया गया। अब अमेरिका में क्लिनिकल विधिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों मात्र उद्देश्य लीगल एड पर आधारित नहीं है वरन वह अब कानूनी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं अकादमिक वृद्धि हेतु क्लीनिकल विधिक शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं वहीं, दूसरी ओर भारत में अभी क्लीनिकल विधिक शिक्षा पूरी तरह लीगल एड क्लीनिक एवं उससे जुड़े हुए संस्थानों के द्वारा बनाए गए नियमों एवं प्रणाली पर ही आधारित है। नियम अब बदलने की जरूरत है ताकिए समाज में बदल रहे परिवेश और परिदृश्य के अनुसार क्लीनिकल विधिक शिक्षा को भी और बेहतर बनाया जा सके।[4]

फेलिक्स के मुताबिक, 'कानूनविद एवं वकील वही बनते हैं जो विधिक शिक्षण संस्थान उन्हें बनाते हैं' स्टीफन के अनुसार विधिक शिक्षा जन कल्याण करें महत्वपूर्ण संबंध है अत: शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान का प्रयोग वकील एवं लीगल प्रोफेशनल्स समाज के कल्याण में करते हैं साथ ही साथ जी के छात्र छात्राओं का सामाजिक न्याय एवं समाज में हो रहे किसी भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की इच्छा शक्ति को भी क्लीनिकल कानूनी शिक्षा के जरिए विकसित किया जा सकता है। एक कानून के छात्र छात्राओं को नैतिक मूल्यों व्यवसायिक कार्यप्रणाली और सामाजिक जिम्मेदारियों को भली–भांति समझाने हेतु क्लीनिकल विधिक शिक्षा का शानदार प्रयोग किया जा सकता है।[5]

कोलंबिया लॉ स्कूल के प्राध्यापक लीवलिन द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया था कि आधारभूत कानूनी शिक्षा को बदलकर व्यवहार परख एवं प्रायोगिक कानूनी शिक्षा को अपनाने की तो जरूरत है और प्रायोगिक अनुभवों को लॉ कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज के द्वारा क्लीनिकल विधिक शिक्षा के माध्यम से ही प्रचारित प्रसारित एवं लागू किया जा सकता है।[6]

इस शोध प्रपत्र के जरिए विधिक शिक्षण संस्थानों में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के छात्रों की शिक्षा में और भी अधिक योगदान देने हेतु जरूरी रचनात्मक सुझाव पर विमर्श एवं उचित टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।

महान जूरिस्ट जेरोम फ्रैंक के द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहा गया की क्लीनिकल विधिक शिक्षण संस्थानों को हकीकत में स्थापित करना एक शानदार कदम हो सकता है क्योंकि इन संस्थानों के जरिए सिद्धांतों और प्रायोगिक विज्ञान में बढ़ रही दूरियों को जा सकता है एवं कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र–छात्राओं को बेहतर समझ और उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।[7]

---

4 Lee Dexter Schinasi, "Globalizing: Clinical Legal Education: Successful Under-Developed Country Experiences" 6 *T.M. Cooley J. Prac. & Clinical L.* 129 (2003).

5 Wizner, *supra* note 1.

6 K.N. Llewellyn, "On What Is Wrong with So-Called Legal Education" 35 *Colum. L. Rev.* 651 (1935).

7 T. Mkwebu,, "A systematic review of literature on clinical legal education: a tool for researchers in responding to an explosion of clinical scholarship" 22(3) *International Journal of Clinical Legal Education* 238-274 (2015).

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के 2008 अंक में प्रकाशित शोध प्रपत्र के अनुसार आयरलैंड की राष्ट्रीय संस्था ने क्लीनिकल विद्युत शिक्षण पाठ्यक्रम को लगभग 50 वर्ष पूर्व अपनाया था जिसके तहत महत्वपूर्ण कौशल विकास संबंधी कदम उठाए गए सुखद परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहे हैं।[8]

मार्गरिट बारी के अनुसार भारतीय विधिक शिक्षा के जनक डॉक्टर माधव मेनन ने ग्लोबल एलाइंस फॉर जस्टिस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया था कि क्लीनिकल विधिक शिक्षा भारत के विधिक शिक्षा की एक नई क्रांति लाएगी और एक कानून के छात्र या छात्रा को सभी महत्वपूर्ण से परिपूर्ण करने मेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।[9]

सन 1973 में बनी हाई लेवल कमिटी ने सुझाव दिया था कि भारत में विधिक शिक्षा के उन्नयन एवं विकास यह अत्यंत आवश्यक हो गया है जी कानूनी शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में क्लिनिकल लीगल एजुकेशन हेतु विधिक सहायता केंद्र अथवा लीगल एड क्लिनिक स्थापित की जाए। अंततः 1981 में इसे अमल में लाने का प्रस्ताव दे दिया गया लेकिन इसके बावजूद बार काउंसिल एवं विधिक शिक्षण संस्थानों ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लागू करने के तरफ प्रयास नहीं किया। सन 1994 में अहमदी कमेटी ने देश के श्रेष्ठतम विधिक संस्थानों में और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में क्लीनिकल लीगल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लीगल एड क्लीनिक के स्थापना पर भी भरपूर जोर दिया ताकि भारत की विधिक जरूरतों को पूर्ण करने हेतु ऐसे लॉ ग्रैजुएट्स तैयार किए जा सके जो सभी महत्वपूर्ण कौशलों एवं कानूनी ज्ञान से परिपूर्ण हो।[10]

भारत में क्लीनिकल विधिक शिक्षा के विस्तार एवं विकास का कार्य मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर 1970 के दशक में चलाए जा रहे राष्ट्रीय लीगल एड मूवमेंट के विकास एवं विस्तार में विधिक शिक्षण संस्थानों की सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।[11] इसका मूल उद्देश्य यह था कि कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें एवं समाज के उपेक्षित वर्ग को नए प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित कर सके एवं सामाजिक सुधार के सेनानी बनकर ऐसे लीगल प्रोफेशनल्स बने जो सामाजिक न्याय के लिए सकारात्मक भूमिका निभा सकें।[12]

8 L. Donnelly, "Irish Clinical Legal Education Ab Initio: Challenges and Opportunities" 13 *International Journal of Clinical Legal Education* 56-64 (2008).

9 M.M. Barry et.al., "Clinical education for this millennium: The third wave" 7 *Clinical L. Rev. 7* (2000).

10 *Ibid.*

11 N. Vasanthi, "Strengthening Clinical Legal Education in India" 42(4) *Social Change* 443-449 (2012).

12 S.P. Sarker, "Empowering the underprivileged: The social justice mission for clinical legal education in India" *Clinical Legal Education in Asia: Accessing Justice for the Underprivileged* 177-193 (2015).

II. क्लीनिकल विधिक शिक्षा हेतु स्थापित लीगल एड क्लीनिक से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल फॉर लीगल एजुकेशन-लीगल एड क्लीनिक

सन 2008 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 की सहायता से सभी विधिक शिक्षण संस्थानों में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना का नियम बनाया गया था।[13] जिसके तहत देश में कानून की पढ़ाई करवा रहे सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपने संस्थान के अंतर्गत एक सुचारू रूप से संचालित लीगल एड क्लीनिक का संचालन अनिवार्य रूप से करना था। हालांकि नियम होने के बावजूद इन लीगल एड क्लीनिक के गुणवत्ता और गतिविधियों का किसी भी प्रकार से गुणवत्ता आकलन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप लीगल एड क्लीनिक का जो फायदा शैक्षणिक संस्थानों में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को मिल सकता था अब तक मिल ना सका है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 2008[14] में बनाए गए नियम के अलावा वर्ष 2011 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को शैक्षणिक संस्थानों में लीगल सर्विस क्लीनिक की स्थापना हेतु उचित एवं आवश्यक कदम उठाने का आदेश भी जारी किया गया था। जिसके तहत मौजूदा समय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता एवं संस्थागत ट्रेनिंग के जरिए लीगल एड क्लिनिक स्थापित किए जा रहे है।

राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण लीगल सर्विस क्लिनिक नोटिफिकेशन 2011

लीगल सर्विस क्लिनिक नियम 2011[15] के नोटिफिकेशन के तहत नियम 22[16] कानूनी शिक्षण संस्थानों में स्थापित लीगल एड क्लिनिक का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि इस नियम के सभी प्रावधान विधि छात्रों द्वारा स्थापित एवं संचालित लीगल एड क्लीनिक पर समान रूप से लागू होंगे।

नोटिफिकेशन का नियम 23,[17] लॉ कॉलेज एव विश्वविद्यालयों द्वारा किन्ही गांव को गोद लेकर उक्त गांव में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता संबंधी कार्यक्रम एवं अभियानों को चलाने हेतु निर्देशित करता है जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के अध्ययनरत छात्रों को समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों के मध्य गांव में जाकर जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं गांव के लोगों के जरूरत एवं समस्या के उचित समाधानओं को समझने का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त ऐसे कार्यक्रमों के दौरान किए गए सर्वे की नतीजा संबंधी रिपोर्ट को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

13 BCI Rules of Legal Education, 2008, sch. III, rule 13.

14 *Ibid.*

15 National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011.

16 National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011, rule 22.

17 National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011, rule 23.

के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्देशन भी नियम 23, के कंडिका 5, में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है ।

2011 के नोटिफिकेशन का नियम 24,[18] भी इसी कड़ी में शिक्षण संस्थानों एवं लॉ यूनिवर्सिटी को लीगल सर्विस क्लीनिक की स्थापना कर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ स्थापना संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने का निर्देश प्रदान करता है और साथ ही साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसी संस्थागत विधिक सहायता क्लिनिक्स की यथासंभव मदद करने एवं ट्रेनिंग संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भी उचित प्रावधान किया गया है ।

इसके अतिरिक्त नियम 24,[19] अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को लीगल सर्विस क्लीनिक के अनुभवों को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित एवं निर्देशित करता है एवं इस कार्य में एक शिक्षक समन्वयक को आवश्यक कार्यवाही एवं जिम्मेदारियां संभालने हेतु भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं ।

विधिक सहायता शिविरों एवं संबंधित गतिविधियों में प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की प्रतिभा को पुरस्कृत एवं अलंकृत करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रमाण पत्र एवं प्रोत्साहन पत्र जारी करने हेतु भी निर्देशित किया गया है । महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2011 के आदेश के अंतर्गत ना सिर्फ विधिक शिक्षण संस्थानों में लीगल एड क्लीनिक खोलने की अनिवार्यता है बल्कि, अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जरूरत महसूस होती है तो अन्य शिक्षण संस्थानों में भी ऐसे क्लिनिक्स को स्थापित किया जा सकता है एवं लीगल एड क्लीनिक में तकनीकी एवं विधि सम्मत सुविधा प्रदान करने हेतु वकीलों एवं कानूनी जानकारी रखने वाले पैरा लीगल वालंटियर को भी तैनात किया जा सकता हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2011 के आदेश के अंतर्गत ना सिर्फविधिक शिक्षण संस्थानों में लीगल एड क्लीनिक खोलने की अनिवार्यता है बल्कि अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जरूरत महसूस होती है तो अन्य शिक्षण संस्थानों में भी ऐसे क्लिनिक्स को स्थापित किया जा सकता है एवं लीगल एड क्लीनिक में तकनीकी एवं विधि सम्मत सुविधा प्रदान करने हेतु वकीलों एवं कानूनी जानकारी रखने वाले पैरा लीगल वालंटियर को भी तैनात किया जा सकता हैं।

2011 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत नियम 25[20] विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित पैरा लीगल वालंटियर को लॉ यूनिवर्सिटी के लीगल एड क्लीनिक में पदस्थापना करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित करता है और छात्रों के बेहतर विकास हेतु इस नियम के अंतर्गत इन पैरा लीगल वालंटियर के साथ विधिक छात्रों का विमर्श एवं आपसी सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रावधान भी किए गए हैं।

लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर स्थापित लीगल एड क्लिनिक के कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण बनाए रखने हेतु नियम क्रमांक 26,[21] के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इन शैक्षणिक संस्थानों के मासिक कार्यवाही का

18 National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011, rule 24.

19 *Ibid.*

20 National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011, rule 25.

21 National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011, rule 26.

विवरण मंगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। हर 3 महीनों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इन शैक्षणिक संस्थानों में संचालित लीगल सर्विस क्लिनिक्स के गुणवत्ता एवं कार्यप्रणाली पर समीक्षा करने हेतु भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसी नियम के अंत में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि सभी विधिक शिक्षा संस्थानों में कार्यरत एवं संचालित लीगल एड क्लिनिक संबंधी विवरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तक अग्रेषित किया जाता रहे।[22]

III. क्लिनिकल विधिक शिक्षा : उपलब्ध शोध प्रपत्र का विश्लेषण

एडवर्ड द्वारा लिखित शोध प्रपत्र में दावा किया गया है कि मौजूदा विधिक शिक्षण प्रणाली एवं विधि व्यवसाय हेतु आवश्यक प्रोफेशनल कौशलों के मध्य लगातार कम होता जा रहा है एवं धीरे-धीरे सैद्धांतिक मूल्यों पर आधारित विधिक शिक्षा मौजूदा समय की जरूरतों के लिए नाकाफी साबित हो रही है।[23] मौजूदा समय में भारतीय लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से क्लिनिकल विधिक शिक्षा का शानदार अवसर विधि के छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है जिससे कि प्रोफेशनल प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय की परिकल्पना को साकार करने का भी कार्य संभव हो सका है मौजूदा समय में विधिक शिक्षा बेहद आवश्यक है एवं पारंपरिक विधिक शिक्षण बिल्कुल उनकी व्यवस्था का परिचायक बनता जा रहा है की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता भी लगातार गिर रही है।[24]

क्लीनिकल विधिक शिक्षा एवं लीगल एड क्लीनिक का सबसे प्रभावी रणनीतिक लाभ यह है कि इन गतिविधियों के माध्यम से भावी कानून विधि एवं अधिवक्ताओं को समाज के संघर्षरत वर्ग के अधिकारों हेतु आवाज उठाने की प्रेरणा दी जाती है जिससे कि उनका चरित्र निर्माण होता है और भविष्य में भी वह इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सजग रहते हैं।[25]

सिर्फ यह कहना कि क्लिनिकल विधिक शिक्षा के मायने व्यक्तिगत विकास एवं प्रायोगिक ज्ञान के प्रसार प्रचार हेतु आवश्यक है गलत होगा क्योंकि क्लीनिकल शिक्षा एवं लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से भारत के संविधान में निहित मूल न्याय के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है एवं सामाजिक उत्थान हेतु इस प्रणाली का कुशल प्रयोग भी किया जा रहा है।[26]

---

22 *Ibid.*

23 H.T. Edwards, "The growing disjunction between legal education and the legal profession" 91(1) *Michigan Law Review* 34-78 (1992).

24 R.A. Posner, "The decline of law as an autonomous discipline: 1962-1987" 100 *Harv. L. Rev.* 761 (1986).

25 H.D. Lasswell and M.S. McDougal, "Legal education and public policy: Professional training in the public interest" 52 *Yale L.j* 203 (1942).

26 G.P. Lopez, "Training Future Lawyers to Work with the Politically and Socially Subordinated: Anti-Generic Legal Education" 91(2) *West Virginia Law Review* 5 (1989).

भारतीय लॉ कमिशन रिपोर्ट क्रमांक 184, 2002

भारतीय लॉ कमिशन की रिपोर्ट क्रमांक 184 के तहत अब भारत में विधिक शिक्षा के लिए प्रयोग किए जा रहे पारंपरिक क्लास रूम लेक्चर मेथड के अतिरिक्त नवीनतम तकनीको एवं प्रणालियों का अनुप्रयोग किया जाए ताकि वैश्विक चुनौतियां एवं जरूरतों को प्रायोगिक प्रशिक्षण के जरिए सुलझाया जा सके। यह रिपोर्ट काफी हद तक मैथक्रेट रिपोर्ट के आधार पर ही बनाई गई है एवं इसके लिए सुझाव के तहत विधि व्यवसाय करने हेतु जरूरी कौशलों को भी बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है ताकि सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के बीच बढ़ रही दूरियों को मिटाया जा सके। भारतीय परिदृश्य के लिए आवश्यक बदलाव विधिक शिक्षण व्यवस्था में किए जा सके इस रिपोर्ट के तहत विधि संबंधी शोध ड्राफ्टिंग एवं अंतर वैयक्तिक संचार को सुदृढ़ किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इसी रिपोर्ट के पाठ क्रमांक 5 के अंतर्गत मूलभूत वायरिंग कौशलों का करते हुए कानूनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक सभी गुणों के समावेश एवं विधि व्यवसाय के दौरान क्लाइंट से बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल बिठाने हेतु जरूरी सभी आवश्यक गुणों का विकास एवं विस्तार करने की बात भी की गई है।[27]

क्लीनिकल विधिक शिक्षा हेतु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रयोग

मौजूदा समय में भारतीय विधिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जिन्हें एनएलयू भी कहा जाता है वह अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लगातार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। एक शोध पत्र के अनुसार अब इन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को अकादमिक सामाजिक जिम्मेदारी में बदल दिया है जिसके तहत इन संस्थानों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को लीगल एड क्लीनिक एवं क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के माध्यम से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान देने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं अवसर प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कानूनी जागरूकता के प्रचार प्रसार हेतु प्रभावी योजनाएं इन संस्थानों के द्वारा लागू की गई हैं । एक शोध प्रपत्र के अनुसार क्लीनिकल विधिक शिक्षा का लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से शानदार अनुप्रयोग जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के द्वारा लाए गए व्यापक बदलावों से महसूस किया जा सकता है।[28] जहां लीगल एड क्लिनिक अप विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को सामाजिक न्याय के दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु मंच प्रदान कर रहा है और ग्रामीण इलाकों में भी विधिक साक्षरता इससे जुड़ी गतिविधियों को पहुंचाया जा सका है।[29]

---

27 Law Commission of India, (184th Report on The Legal Education & Professional Training and Proposals for Amendments to the Advocates Act, 1961 and the University Grants Commission Act, 1956, New Delhi, December 2002).

28 A. Pandey, "Social justice, the raison d'etre of clinical legal education" 11(2) *Jindal Global Law Review* 201-207 (2020).

29 Priya S. Gupta *et.al.*, "How Clinical Education Builds Bridges with Villages for a Global Law School in India" 63 *J. Legal Educ.* 512 (2014).

आज देश के लगभग सभी विधि विश्वविद्यालयों में प्रो बोनो क्लब्स संचालित हो रहे हैं जिनके माध्यम से विश्व विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को प्रायोगिक विज्ञान प्रदान किया जा रहा है देश के अन्य विधि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भी एनएलयू के इस मॉडल को अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना सकते हैं ताकि वह भी सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें एवं छात्र छात्राओं को आत्मा विकास एवं प्रायोगिक ज्ञान के अवसर प्रदान कर सकें।[30]

IV. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

वर्तमान शोध में किए गए अध्ययन के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं भारत के विभिन्न वित्तीय विश्वविद्यालयों में संचालित विधि पाठ्यक्रम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अनिवार्य रूप से लीगल एड क्लीनिक की स्थापना करने हेतु जारी नियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय विधिक शिक्षण संस्थानों में क्लिनिकल लीगल एजुकेशन को बढ़ावा देना था और यह अमेरिका के तर्ज पर ही भारत में भी विकसित हुआ है।

- भारत में क्लीनिकल विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने का एकमात्र कारण छात्र छात्राओं का बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास करना नहीं था बल्कि भारत जैसे विकासशील देश मैं समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान मैं रख कर उन सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की परिकल्पना को साकार करना भी इस शिक्षा को बढ़ावा देने का एक मुख्य उद्देश्य था।

- लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को प्रोफेशनल कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह कानूनी जटिल समस्याओं का निराकरण कर सकें साथ ही साथ सामाजिक न्याय को सार्थक करने हेतु भी लीगल एड क्लीनिक लगातार कार्य करती हैं।[31]

- क्लिनिकल विधिक शिक्षा परंपरागत विधिक शिक्षा के शानदार विकल्प के तौर पर विकसित हो रही है जिसके तहत विधि की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं को प्रायोगिक ज्ञान एवं कौशल से परिपूर्ण किया जा सकेगा और देश के भावी लीगल प्रोफेशनल्स तैयार किए जा सकेंगे देश में विधि व्यवसाय का भविष्य विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं के चारित्रिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान पर निर्भर करता है जोकि क्लीनिकल विधिक शिक्षा के माध्यम से उन तक पहुंचाए जाते हैं।[32]

- अनेकों रिपोर्ट में यह माना गया है कि लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से छात्र छात्राओं के प्रोफेशनल एथिक्स को मजबूत किया जा सकता है जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार का

30 A. Kumari and P. Sharma, "Social Responsibility and Legal Education in India" in *Socially Responsible Higher Education* (Brill, Leiden, The Netherlands, 2021).

31 N.W. Tarr, "Current issues in clinical legal education" 37 *Howard LJ* 31 (1993).

32 S.V. Carey, "An essay on the evolution of clinical legal education and its impact on student trial practice" 51 *U. Kan. L. Rev.* 509 (2002).

अनैतिक व असामाजिक कृत्य नहीं करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे।

क्लीनिकल विधिक शिक्षा : चुनौतियां

क्लीनिकल विधिक शिक्षा क्षेत्र में अनेकों जटिल चुनौतियां आज भी मौजूद हैं जिनकी वजह से शैक्षणिक संस्थानों में लीगल एड क्लिनिक अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं एवं छात्र छात्राओं को इसका लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में विधिक शिक्षण संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रम में क्लीनिकल विधिक शिक्षा हेतु बेहद सीमित प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से मौजूदा दौर में इसे अपनाया जाना अत्यंत कठिन साबित हो रहा है। इसके अलावा संसाधनों, उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण लीगल एड क्लीनिक अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं।[33] एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार किया जाना आवश्यक है जिससे कि क्लीनिकल विधिक शिक्षा को शैक्षणिक संस्थानों में सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके । साथ ही साथ छात्र छात्राओं को उनके द्वारा किए प्रतिभागीता एवं प्रयासों हेतु प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार के जरिए लगातार प्रोत्साहित किया जाते रहना चाहिए साथ ही साथ उनके कैरियर के उत्थान हेतु उन्हें अतिरिक्त ग्रेड इत्यादि भी दिया जाना चाहिए। इन प्रमाणपत्रों को ना सिर्फछात्र–छात्राएं अपने कैरियर की बेहतरी के लिए उचित मौकों पर प्रदर्शित कर सकेंगे यह इस बात का भी परिचायक होगा कि लॉ यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेजों के छात्र छात्राएं समाज के उत्थान हेतु उचित भागीदारी करने में सफल रहे हैं एवं लीगल एड क्लीनिक की सहायता से सामाजिक न्याय एवं भारतीय संविधान द्वारा दिए हुए अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाया है।

V. निष्कर्ष

अंतत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्लीनिकल विधिक शिक्षा वर्तमान समाज में न्याय के सिद्धांतों की रक्षा एवं कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र–छात्राओं के बौद्धिक सामाजिक एवं चारित्रिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । विधि के पढ़ाई करा रहे विधि विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह समाज के प्रति अपने मूलभूत दायित्वों का निर्वहन करने के लिए लीगल एड क्लीनिक स्थापना कर उन्हें प्रायोगिक तौर पर प्रभावशील बनाने का भी संकल्प लें एवं छात्र छात्राओं के सर्वांगीण कौशल विकास एवं प्रोफेशनल व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि हेतु यही आवश्यक भी है।

33 P.A. Joy, "The Cost of Clinical Legal Education" 32 *BCJL & Soc. Just.* 309 (2012).

34 S.L. Brustin and D.F. Chavkin, "Testing the Grades: Evaluating Grading Models in Clinical Legal Education" 3 *Clinical L. Rev.* 299 (1996).